प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू) : (क) से (ग). लोनी मार्ग से निकलते हुए असालतपुर–फरकनगर मार्ग के कुछ हिस्से को कालू के बाग के पास, इसके, लोनी मार्ग के संगम से लेकर बन्द कर दिया गया है । इसे इसलिए बन्द कर देना पड़ा, कि यह (गाजियाबाद के निकट) हिण्डन पर निर्माण किये जा रहे, वायु सेना के हवाई अड्डे के संक्रियात्मक क्षेत्र में आ रहा था । जब तक दूसरा मार्ग नहीं बन जाता, असालतपुर के लिए असैनिक यातायात के लिए, हवाई अड्डा की परिक्रमा के अन्दर तैयार किये गये, परिसीमा-मार्ग के प्रयोग के लिए, अस्थायी अनुमति दी गई है । दूसरा मार्ग सी० पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा 3-4 मास तक निर्माण किया जायेगा ।

भारतीय वायु सेना के हवाई अड्डे के लिये गाजियाबाद के पास जमीन का अर्जन

1638. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री लू० ला० वर्मा :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजियाबाद के पास भारतीय वायु सेना का जो नया हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, उसके लिए जिन लोगों की जमीन ले ली गयी हैं, क्या उनका मुआवजा उन्हें दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जिस भूमि में कृषि होती थी और जिस भूमि में बाग आदि थे उनके मुआवजे की दरों में कोई अन्तर है; और यदि हां, तो कितना है; और

(ग) यदि इस भूमि का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है तो इसके क्या कारण हैं और वह कब तक दे दिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू) : (क) से (ग). आवश्यक भूमि क्षेत्र, भारत रक्षा विधेयक, 1962 के अधीन अधिगृहीत किया गया था, और सितम्बर से दिसम्बर, 1963 के दौरान में विभिन्न तिथियों पर उसका अधिकार प्राप्त किया गया था । स्थायी तौर पर उसे अर्जित करने के लिए कार्य प्रगतिशील है । अधिग्रहण के फलस्वरूप, सम्बन्धित व्यक्तियों को, "खाते पर" 2 लाख रुपये की अदायगी कर दी गई है । खाते की अदायगी में, राजस्व अधिकारियों द्वारा, कृषि योग्य तथा बागीचों के भूमि क्षेत्र में, कोई भेद नहीं बर्ता गया है । भूमि अर्जन के आधार पर भूस्वामियों को दिया जाने वाला, मुआवजा अभी निर्धारित नहीं किया गया, क्योंकि राजस्व अधिकारी, भूमि का बाजारी मूल्य निर्धारित करने के लिए, सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं । हो सकता है, कि कृषि योग्य और बागीचों वाली भूमि के लिए देय दरें भिन्न हों, और वह नियमों के अनुरूप निर्धारित किये जायेंगे । आशा है, यह काम 4 मास की अवधि में सम्पूर्ण हो जायेगा ।

Disturbance of Programme of Jullundur Radio Station

1639. **Shri D. C. Sharma:**
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Prakash Vir Shastri:

Will the **Minister of Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Jullundur Radio Station's programme was disturbed by some unknown radio station on the night of 25th and 26th November, 1964;

(b) whether any investigations have been made into the matter; and

(c) if so, the outcome thereof?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) No, Sir.

(c) and (c). **Do not arise.**